रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 1984/फाल्गुन 9, 1905
No. 55] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 1984/PHALGUNA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

सा०का०नि० 83 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये 1 मार्च, 1984 को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983—

(i) नियम 2 में,—

(क) खण्ड (8) में, "परीक्षण अधिकारी से" शब्दों के पश्चात "एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ix) "फिचर फिल्म" से 35 मि०मी० में 2000 मीटर लंबाई से अधिक या अन्य गेजों में समतुल्य लम्बाई की या वीडियो पर काल्पनिक कथा फिल्म अभिप्रेत है;"

(ग) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) "लम्बी" फिल्म ऐसी फिल्म है जो 35 मि०मी० में 2000 मीटर लम्बाई से अधिक या अन्य गेजों में समतुल्य लम्बाई की या वीडियो पर है;

(घ) खंड 16 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) "लघु फिल्म" से ऐसी फिल्म जो 35 मि०मी० में 2000 मीटर लम्बाई तक जिसमे 2000 मीटर भी सम्मिलित है या अन्य गेजों में समतुल्य लम्बाई की या वीडियो पर है, अभिप्रेत है"—;

(2) नियम 21 के उपनियम (1) में "प्ररूप 1 या प्ररूप 2" शब्दों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति प्ररूप 1 या प्ररूप 1-क या प्ररूप ii या प्ररूप -iiक" रखा जाएगा;

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 9-5-83 मे सा० का० नि० 381 (अ) के रूप में प्रकाशित।

(3) नियम 28 के उपनियम (1) में "दिए गए प्रमाणपत्र पर" शब्दों के पश्चात "अध्यक्ष या" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगें;

(4) नियम 29 के उपनियम (2) में "प्ररूप 4, 5, 6 या 7" शब्द और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 4, 4-क, 5, 5-क, 6, 6-क, 7, या 7-क"

(5) नियम 30 के उप नियम (1) मे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु वीडियो फिल्म की दशा में प्रमाणपत्र की एक प्रति जिसमें क्रम संख्या, प्रवर्ग या अन्य ब्यौरे वर्णित किए गए हों प्रत्येक वीडियो कैसेट और उसके केस पर चिपकाई जानी चाहिए।"

(6) नियम 33 के उपनियम (3) में "सदस्य" शब्द के स्थान पर "एक सदस्य शब्द रखे जाएंगे"

(7) नियम 35 में—

(क) उप नियम (1) में, "प्ररूप 4, 5, 6 या 7" शब्द और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—
"प्ररूप 4, 4-क, 5, 5-क, 6, 6-क, 7 या 7-क"

(ख) उप नियम (3) में "ट्रेलर प्रमाण पत्र की लम्बाई वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में अधिकथित है :—"शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्—
"वीडियो फिल्म की दशा में ट्रेलर प्रमाण पत्र पन्द्रह सेकेन्ड से अन्यून की अवधि का होगा और अन्य फिल्मों की दशा में, ट्रेलर प्रमाणपत्र की लम्बाई वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में अधिकथित है : "

(8) नियम 36 के उपनियम (1) में,

(क) भाग 3 के पश्चात, निम्नलिखित भाग अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
"भाग 3-क वीडियो फिल्म"

(i) प्रत्येक 10 मिनट की अवधि या उसके भाग के लिए जहां वीडियो फिल्म 20 मिनट की अवधि में अधिक की नहीं है, 40 रुपये;

(ii) प्रत्येक 10 मिनट की अवधि या उसके भाग के लिए, जहां वीडियो फिल्म 20 मिनट की अवधि से अधिक की नहीं है, न्यूनतम 600 रु० के अधीन रहते हुए, 200 रुपए;

(ख) भाग 4 में, खण्ड (3) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(4) वीडियो फिल्म की दशा मे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि या उसके भाग के लिए 40 रुपए;"

(ग) भाग 4 के प्रथम परन्तुक में "अनुसार 600 मीटर या 240 मीटर या 120 मीटर से अधिक है" शब्दों के पश्चात, "और वीडियो फिल्म की दिशा मे जो 20 मिनट से अधिक की अवधि की है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(घ) भाग 4 के प्रथम और द्वितीय परन्तुक में "या भाग 3" शब्दों और अंकों के पश्चात "या भाग 3-क" शब्द, अंक और अक्षर अन्त स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) भाग 5 में, "भाग 1, 2, 3" शब्दों और अकों के पश्चात "3-क" अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(च) भाग 5 में प्रथम परन्तुक में, "120 मीटर से अधिक नहीं है" अंकों और शब्दों के पश्चात "और वीडियो फिल्म की दशा में जहां तक 20 मिनट की अवधि से अधिक नहीं है" शब्द और अंक अन्त स्थापित किए जाएँगे;

(छ) भाग 5 के प्रथम परन्तुक के अन्त में "या जहां वीडियो फिल्म 20 मिनट की अवधि से अधिक की है" अंक और शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ज) भाग 6 में "रील या रीले" शब्दों के पश्चात "या कैसेट या कैसेटों" शब्द अन्त स्थापित किए जाएंगे;

(9) नियम 39 में, "बोर्ड एक रजिस्टर रखेगा" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड एक रजिस्टर बनाए रखेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(10) दूसरी अनुसूची में,

(क) प्ररूप 1 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

प्ररूप-1

भारत में निर्मित वीडियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणन के लिए आवेदन का प्ररुप

[नियम 21 का उपनियम (1) देखिए]

आवेदन का सं० और तारीख (बोर्ड के कार्यालय द्वारा भरा जाए)

सेवा में,

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड .....

मार्फत प्रादेशिक अधिकारी .....

भारत में निर्मित वीडियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणन का आवेदन पत्र।

(1) (क) वीडियो फिल्म का नाम

(ख) वीडियो फिल्म की भाषा

(ग) चालन समय

(घ) कैसेटो की संख्या

(ङ) वीडियो संपरिवर्तन की कोई भी अन्य विशिष्टिया

(च) वीडियो फिल्म का टाइप अर्थात् क्या वीडियो फिल्म 2-डी, 3डी सिनेमा स्कोप विस्टाविजन आदि है।

(छ) फिल्म मूक है या संवाक

(ज) फिल्म का रंग

(झ) निर्माता का नाम और पता

(ट) निदेशक का नाम

2. लिखिए क्या वीडियो फिल्म समाचार दर्शन/वृत्तचित्र/वैज्ञानिक/शैक्षिक/फीचर/विज्ञापन वीडियो फिल्म है ?

2. (क) विनिर्दिष्ट कीजिए कि किस प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया है "अनिर्बंधित" "निर्बन्धित वयस्क" "वयस्क" या "विशिष्ट"।

3. वीडियो फिल्म की निगेटिव और पाजिटिव प्रिंटों की संख्या अलग अलग लिखें,

(क) निर्मित्त (निगेटिव पाजिटिव)

(ख) आवेदक के कब्जे मे (निगेटिव पाजिटिव)

(ग) कापी जहां बनाई गई प्रयोगशाला का नाम और पता।

4. (क) क्या यह वीडियो फिल्म जिसके लिए आवेदन किया गया है सैल्यूलाइड पर किसी चलचित्र की प्रतिकृति है अथवा उसकी यथावत प्रति है जिसकी बाबत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पहले ही प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है ?

प्रमाणित फिल्म की विशिष्टियों को बताएं।

(ख) क्या यह वीडियो फिल्म, सेल्यूलायड पर किसी प्रमाणित चलचित्र का उपांतरित पाठ है जिसमें परिवर्धन, लोप/अन्य परिवर्तन है। (उपांतरणों के ब्यौरे दिए जाएं)

(ग) क्या किसी मूल वीडियो फिल्म की बाबत आवेदन किया जा रहा है और न कि सेल्यूलायड पर पहले से प्रमाणित चलचित्र फिल्म की प्रति को बाबत।

(घ) क्या विद्यमान वीडियो फिल्म, किसी अन्य फिल्म का डब किया गया पाठ है या पुनः बनाया गया है ? यदि हां तो उस वीडियो फिल्म को जारी प्रमाणपत्रों की ब्यौरे सहित विशिष्टियों का उल्लेख करें।

(ङ) क्या कोई सेंसर पूर्व सलाह अभिप्राप्त की गई थी और यदि यदि ली गई की गई थी तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(च) क्या विदेश में विदेश की किसी सूटिंग के लिए अनुज्ञा ली गई थी, यदि ली गई थी तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(छ) क्या वीडियो फिल्म में, वीडियो फिल्म की भाषा से भिन्न किसी भाषा में कोई कथोपथन/टीका है; यदि है तो वह भाषा और वे कसेट विनिर्दिष्ट करें जिसमें वे आते हैं।

5. क्या इस वीडियो फिल्म को भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करने के लिए पहले कोई आवेदन किया गया है, यदि किया गया हो तो

(क) वह कहां और किसे दिया गया था ?

(ख) आवेदन का क्या परिणाम रहा है ?

(1) अनिर्बंधित/अनिर्बंधित वयस्क/वयस्क/विशिष्ट प्रमाणपत्र सं० . . . तारीख. . . . . .इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया गया था कि निम्नलिखित भाग काट दिए जाएं. . . . . से प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया गया था।

6. क्या इस वीडियो फिल्म/फिल्म का प्रदर्शन किसी समय निलम्बित किया गया था या वीडियो फिल्म/फिल्म केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा अप्रमाणित घोषित की गई थी ?' विशिष्टियां लिखें:—

7. क्या वीडियो फिल्म में कोई कथोपकथन गीत, कविता, भाषण या टीका अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा से भिन्न किसी भाषा में है, यदि है तो यह विनिर्दिष्ट करें कि किस कैसेट या कैसेटों में ऐसा कथोपकथन, गीत, कविता, भाषण या टीका आती है और उसमें किस भाषा का या किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है।

8. नियम 36 में विहित फीस की बाबत आवेदन के साथ फीस की राशि देखिए :

(i) रसीद सं० . . . . .तारीख. . . . .

(ii) बैंक ड्राफ्ट स० . . . . .तारीख. . . . .

(iii) पोस्टल आर्डर सं० . . . . .तारीख. . . . . स्थान. . . . . .डाकघर. . . . . ।

9. आवेदक का नाम पता और यदि कोई हो तो उसका टेलीफोन सं० . . . .

10. मैं घोषणा करता हूं कि वीडियो फिल्म बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए तैयार है, और ऊपर अभिलिखित कथन हर विशिष्टि में सही है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे प्रश्नगत वीडियो फिल्म के अधिकार प्राप्त हैं और फीचर फिल्म में ट्रेलरों, विज्ञापनों, वृत्तचित्रों आदि के रूप में अतिरिक्त सामग्री का उपयोग करने का अधिकार है।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें

(ख) भाग 2 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप 2-क

भारत में आयातित किसी वीडियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणन के लिए आवेदन का प्ररूप

[नियम 21 का उप नियम (1) देखिए]

आवेदन की सं० और तारीख

(बोर्ड के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

सेवा में,

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
मार्फत
प्रादेशिक अधिकारी. . . . .

प्रथम बार भारत में. . . . . .आयात की गई वीडियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये प्रमाणन के लिए आवेदन

(क) वीडियो फिल्म का नाम. . . . .

(ख) वीडियो फिल्म की भाषा. . . . .

(ग) वीडियो फिल्म चालन समय. . . . . . . .मीटर. . . . . सी सी पी और/या आयात अनुज्ञप्ति में यथा दर्शित वीडियो फिल्म के चलते रहने का समय. . . . .

क्या आवेदक द्वारा स्वैच्छिक रूप से कोई काट छांट की गई है और यदि की गई है तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(घ) केसेटों की संख्या. . . . .

(ङ) वीडियो संपरिवर्तन की अन्य कोई विशिष्टियां

(च) फिल्म का टाइप अर्थात् क्या वह 2 डी 3 डी, सिनेमास्कोप विस्टाविजन आदि।

(छ) क्या फिल्म मूक है या संवाक् ?

(ज) फिल्म का रंग

(झ) निर्माता का नाम

(ञ) निदेशक का नाम

(ट) किस देश में निर्मित्त की गई है।

2. लिखिए क्या वीडियो फिल्म समाचार दर्शन/वृत्तचित्र/वैज्ञानिक/शैक्षिक/फीचर/विज्ञापन वीडियो फिल्म है।

3. वीडियो फिल्म की निगेटिव और पाजिटिव प्रिंटों की संख्या अलग-अलग लिखिए :

(क) आवेदक द्वारा आयात की गई (निगेटिव. . . . . पाजिटिव. . . . .,

(ख) आवेदक के कब्जे में (निगेटिव. . . . . पाजिटिव. . . . .)

4. (क) क्या वह वीडियो फिल्म, जिसके लिए आवेदन किया गया है, सेल्यूलायड पर किसी चलचित्र की प्रतिकृति चित्र/यथावत चित्र है जिसकी बाबत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पहले ही प्रमाणपत्र मन्जूर किया जा चुका है? प्रमाणित फिल्म की विशिष्टियों का कथन भी करें।

(ख) क्या यह वीडियो फिल्म, सेल्यूलायड पर किसी प्रमाणित चलचित्र का उपांतरण है जिसमें परिवर्धन, लोप/अन्य परिवर्तन है (उपान्तरणों के ब्यौरे दिए जाएं)

(ग) क्या किसी मूल वीडियो फिल्म की बाबत आवेदन किया जा रहा है और न कि सेल्यूलायड पर किसी पहले से प्रमाणित चलचित्र की कोई प्रति।

(घ) यह फिल्म किन किन अन्य भाषा/भाषाओं में यदि कोई हो/हों निर्मित या डब की गई हैं?

जहां प्रत्येक भाषा में शीर्षक एक ही नहीं है; वहां प्रत्येक पाठ का, शीर्षक जिससे उसको निर्मित या डब किया गया, कथन करें।

5. क्या इस वीडियो फिल्म/फिल्म को प्रमाणित (इसके वर्तमान या किसी अन्य शीर्षक के अधीन)

(क) भारत में,

(ख) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में,

(ग) यूनाइटेड किंगडम में,

(घ) किसी अन्य देश में,

करने के लिए पहले कोई आवेदन किया गया है? यदि किया गया था तो,

(i) वह कहां और किसको किया गया था?

(ii) आवेदन किया गया है? यदि किया गया था तो,

*(1) अनिर्बंधित/अनिर्बन्धित वयस्क/वयस्क विशिष्ट प्रमाणपत्र सं० ......तारीख...........

इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया गया था कि निम्नलिखित भाग काट दिया जाए...........

*(ii) प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निर्मित फिल्म की दशा में उसका रेटिंग

(क) राष्ट्रीय समूह और (ख) शिष्टता की मर्यादा के अनुसार लिपि

(क) ....

(ख) ....

6. क्या इस वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किसी भी समय निलम्बित किया गया था या फिल्म केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा अप्रमाणित घोषित की गई है? विशिष्टियां लिखिए :

7. क्या वीडियो फिल्म में कोई कथोपकथन, गीत, कविता, भाषण या टीका अंग्रेजी से या किसी भारतीय भाषा से भिन्न भाषा में है? यदि है तो यह विनिर्दिष्ट कीजिए कि केसिट या केसिटों में ऐसे कथोपकथन, गीत, कविता, भाषण या टीका आती है, और उसमें किस भाषा या किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है।

8. नियम 36 में विहित फीस की बाबत आवेदन सहित फीस की रकम

(1) रसीद सं०.........तारीख.........

(2) बैंक ड्राफ्ट सं०..........तारीख.............
स्थान............बैंक.........

(3) पोस्टल आर्डर सं०..........
तारीख...........स्थान...........
डाकघर..........

9. आवेदक का नाम, पता और टेलीफोन सं० कोई है.........

10. वीडियो फिल्म के आयातकर्ता का नाम, पता और टेलीफोन नं० यदि कोई है...............

(ख) आयात अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख...........

(ग) सीमा शुल्क द्वारा निकासी की तारीख.........

11. क्या वीडियो फिल्म/फिल्म दक्षिणी अफ्रीका या रोडेशियायी राष्ट्रिकों द्वारा या उनके सहयोग से पूर्णतः या भागतः दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका या रोडेशिया में निर्मित की गई है या फिल्म दक्षिणी अफ्रीका, या रोडेशियाई राष्ट्रिकों के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन है? यदि कोई है तो ब्यौरे दीजिए।

12. मैं घोषणा करता हूं कि वीडियो फिल्म बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए तैयार है और यह कि ऊपर अभिलिखित कथन हर विशिष्ट में सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे प्रश्नगत फिल्म के वीडियो अधिकार प्राप्त है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि वीडियो फिल्म, ट्रेलरों, विज्ञापनों, वृत्त चित्रों आदि के रूप में फीचर फिल्म की अतिरिक्त सामग्री का उपयोग का मेरा अधिकार है।

तारीख....... आवेदक के हस्ताक्षर

(ग) प्ररूप 3 में मद 4 के अन्त में निम्नलिखित शब्द अंत स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
"(वीडियो फिल्मों के मामले में, रील की लम्बाई और संख्या के स्थान पर मिनट में अवधि और केसेटों की संख्या दी जाए" जोड़ा जाएगा.

(घ) प्ररूप 4, 5, 6 और 7 में क्रम संख्या 2 के अन्त में निम्नलिखित शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
"तथापि यह प्रमाणपत्र वीडियो फिल्मों के लिए मान्य नहीं है"

(ङ) प्ररूप 4 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

वीडियो अनिर्बन्धित

प्ररूप 4-क

[नियम 35(ग) देखिए[

भारत सरकार]

केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड

वीडियो फिल्म के अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र

भाग 1

(वीडियो फिल्म ....

(चालन समय) .... (कैसेटों की संख्या)

(प्रमाणपत्र सं०) ....

(जारी किए जाने की तारीख) ....

(अवसान की तारीख) ....

अध्यक्ष

भाग 2

उस काट छांट और उपांतरों की विशिष्टियां जिनके अधीन रहते हुए प्रमाण दिया गया है।

1. यह प्रमाणपत्र चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 35 के अनुसार दिया गया है।

2. यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्म का बाबत ही मान्य है।

3. आवेदक का नाम

4. निर्माता का नाम

तारीख :

(च) प्ररुप के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

वीडियो/वयस्क

प्ररूप 5(क)

[नियम 35(1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड

वीडियो फिल्म के केवल वयस्कों तक निर्बन्धित प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र

(18 वर्ष से कम के व्यक्तियों के लिए प्रवेश निषेध)

भाग 1

(वीडियो फिल्म) . . . .

(चालन समय) . . . . (कैसेटों की संख्या)

(प्रमाण पत्र संख्या) . . . .

(जारी करने की तारीख) . . . .

(अवसान की तारीख) . . . . अध्यक्ष

भाग 2

उस काट छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र दिया गया है।

1. यह प्रमाणपत्र चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 35 के अधीन दिया गया

2. यह प्रमाण पत्र केवल वीडियो फिल्म की बाबत ही मान्य है।

3. आवेदक का नाम . . . .

निर्माता का नाम . . . .

तारीख . . . .

(छ) प्ररुप 6 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

वीडियो/अनिर्बन्धित वयस्क

प्ररूप 6-क

[नियम 35(1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड

वीडियो फिल्म के अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र स चेतावनी सहित कि . . . . इस प्रश्न पर कि 12 वर्ष की आयु से कम के किसी बालक को यह फिल्म देखने की अनुज्ञा दी जाए या नहीं, उस बालक के माता पिता या अभिवाक द्वारा विचार किया जाएगा।

भाग 1

(वीडियो फिल्म) . . . .

(चालन समय) . . . . (कैसेटों की संख्या)

(प्रमाण पत्र संख्या) . . . .

(जारी किए जाने की तारीख) . . . .

(अवसान की तारीख) . . . .

अध्यक्ष

भाग 2

उस काट छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र दिया गया है।

1. यह प्रमाणपत्र चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 35 के अधीन दिया गया है।

2. यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्म का बाबत ही मान्य है।

3. आवेदक का नाम

4. निर्माता का नाम

तारीख :

(ज) प्ररुप 8 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

वीडियो/विशिष्ट

प्ररुप 7-क

[नियम 35-1 देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड किसी वृत्ति के सदस्यों या व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग तक निर्बन्धित वीडियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र।

भाग 1

(वीडियो फिल्म) . . . .

(चालन समय) . . . .

(प्रमाण पत्र संख्या) . . . .

(जारी किए जाने का तारीख) . . . .

(अवसान की तारीख) . . . .

(जिन वर्गों के लिए उपयुक्त है वे) . . . .

अध्यक्ष

भाग 2

उस काट छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र दिया गया है।

1. यह प्रमाणपत्र चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन विरचित, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 35 के अधीन दिया गया है

2. यह प्रमाण पत्र केवल वीडियो फिल्म की बाबत ही मान्य है

3. आवेदक का नाम

4. निर्माता का नाम

तारीख :

[फाइल संख्या 805/2/83-एफ (सी)]

विजेन्द्र सिंह जाफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1984

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983*, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on 1st day of March, 1984.

2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983,—

(1) in rule 2,—

(a) in clause (viii), after the word "means", the words "a chief executive officer or" shall be inserted;

(b) for clause (ix), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ix) "feature film" means fictionalised story film exceeding 2000 metres in length in 35 mm or corresponding length in other gauges or on video;"

(c) for clause (xi), the following clause shall be substituted, namely—

"(xi) "long" film is a film with a length exceeding 2000 metres in 35 mm or corresponding length in other gauges or on video;"

(d) for clause (xvi), the following clause shall be substituted, namely—

"(xvi) "short film" means a film with a length upto and including 2000 metres in length in 35 mm or corresponding length in other gauges or on video;"

(2) in rule 21, in sub-rule (1), for the words and figures "Form I or Form II", the words and figures "Form I or Form I-A or Form II or Form II-A as the case may be" shall be substituted;

* Published as G.S.R. 381-E in the Extraordinary Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (i) dated 9-5-1983.

(3) in sub-rule (1) of rule 28, after the word "after", the words "the Chairman or" shall be inserted;

(4) in sub-rule (2) of rule 29, for the word and figures "Form IV, V, VI or VII" the following word and figures shall be substituted, namely—

"Form IV, IV-A, V, V-A, VI, VI-A, VII or VII-A".

(5) in rule 30, to sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely—

"Provided that in the case of video film, a copy of the certificate showing the serial number, the category and other details should be pasted on every video cassette as well as on its case."

(6) in sub-rule (3) of rule 33, for the words "the member" the words "one member" shall be subs-tuted;

(7) in rule 35—

(a) in sub-rule (1), for the word and figures "Forms IV, V, VI or VII" the following word and figures shall be substituted, namely :—

"Forms IV, IV-A, V, V-A, VI, VI-A, VII or VII-A".

(b) in sub-rule (3), for the words "The length of the trailer certificate will be as laid down in the following table : " the following words shall be substituted, namely :—

"In the case of a video film, the trailer certificate shall be for a duration of not less than fifteen seconds and in the case of other films, the length of the trailer certificate will be as laid down in the following table :"

(8) in sub-rule (1) of rule 36,—

(a) after Part III, the following Part shall be inserted, namely :—

"Part III-A video films.

(i) Rs. 40 for every 10 minutes of duration or part thereof where the video film does not exceed 20 minutes of duration;

(ii) Rs. 200 for every 10 minutes of duration or part thereof where the video film exceeds 20 minutes of duration subject to a minium of Rs. 600";

(b) in Part IV, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iv) Rs. 40 for every 10 minutes of duration or part thereof in the case of video films";

(c) in the first proviso to Part IV, after the figures and words "8 millimetres|super-8", the words and figure "and in the case of a video film with a duration of more than 20 minutes" shall be inserted;

(d) in the first and second provisos to Part IV, after the words and figure "or Part III", the words figure and letter "or Part III-A" shall be inserted;

(e) in Part V, after the words and figures "in Parts I, II, III", the figure and letter "III-A" shall be inserted;

(f) in the first proviso to Part V, after the figures & words "8 millimetre|super-8" and before the words "and at the rate of", the words and figure "and where it does not exceed 20 minutes of duration in the case of video films" shall be inserted;

(g) at the end of the first proviso to Part V, the words and figure "or where the video film exceeds 20 minutes of duration" shall be inserted;

(h) in Part VI after the words "reel or reels", the words "or cassette or cassettes" shall be inserted;

(9) in rule 39, after the words "The Board shall" the word "maintain" shall be inserted;

(10) in the Second Schedule,

(a) after Form I, the following form shall be inserted, namely :—

FORM I-A

Form of application for certification for public exhibition of a video film produced in India

[See sub-rule (1) of rule 21]

No. and date of application (to be entered by Board's office)

To

The Central Board of Film Certification through the Regional Officer at

Application for certification for public exhibition of a video film produced in India at————

(1) (a) Name of the video film

(b) Language of the video film

(c) Running time

(d) Number of cassettes

(e) Any other particulars of the video conversion

(f) Type of the film, i.e., whether it is 2-D, 3-D, cinemascope, vistavision etc.

(g) Whether the film is silent or a talkie

(h) Colour of the film

(i) Name and address of the producer

(j) Name of the director

(2) State whether the video film is a newsreel| documentary|scientific|educational|feature | advertisement video film.

(2A) Specify the certificate requested, 'U', 'UA', 'A' or 'S'.

(3) State separately the number of negative and positive prints of the video film.

(a) produced (negative————positive——)

(b) in the applicant's possession (negative————positive————)

(c) Name and address of the laboratory| company where copies were made.

(4) (a) Whether the video film for which the application has been made is a replica| exact copy of a cinematograph film on celluloid in respect of which a certificate has already been granted by the Central Board of Film Certification ? Also state particulars of the film certified.

(b) Whether the video film is a modified version of a certified cinematograph film on celluloid containing additions, deletions|other alterations (details of modifications may be provided).

(c) Whether the application being made is in respect of an original video film and not a copy of an already certified cinematograph film on celluloid .

(d) Whether the present video film is a dubbed version or re-make of any other video film ? If so, state the particulars alongwith full details of certificates issued to that video film.

(e) Whether any pre-censorship advice was obtained and if so the details thereof.

(f) Whether permission for any shooting abroad was obtained and, if so, the details thereof.

(g) Whether the video film contains any dialogue|commentary in any language other than the language of the video film and, if so, specify the language and the cassette in which they occur.

(5) Has any previous application been made to certify this video film as suitable for public exhibition in India ? if so,

(a) Where and to whom was it made

(b) What was the result of the application

*(i) A 'U'|'UA'|An 'A'|'S' certificate No.————at ————was granted subject to the following cuts————

*(ii) Certificate was refused.

(6) Has the exhibition of this video film film been at any time suspended or the video film|film declared uncertified by the Central or any State Government ? State particulars :

(7) Does tiie video film contain any dialogue, song, poem, speech or commentary in any language other than Enghsh or an Indian language ?

If so, specify that Cassette or Cassettes in which the dialogue, song, poem, speech or commentary occurs and the language or languages used.

(8) Amount of fee accompaning the application on account of the fee prescribed in rule 36.

vide (i) Receipt No.————dated————

(ii) Bank draft No.————dated————on ————Bank.

(iii) Postal order No.————dated————on ————Post Office.

*Score out the word or words which are not applicable.

(9) Name, address and telephone number, if any, of the applicant.

Telephone No :

(10) I declare that the video film is ready for examination by the Board and the statements recorded above are true in every particular. I also declare that I own the rights of the video film in question. I further declare that I have the right to use in the video film the additional material in the feature film in the form of trailers, advertisement shorts, documentary films etc.

Date :

Signature of applicant.

(b) after Form II, the following Form shall be inserted, namely :—

FORM-II-A

Form of application for certification for public exhibition of a video film imported into India.

[See sub rule (1) of rule 21]

No. and date of application (to be entered by Board's office)

To

The Central Board of Film Certification through the Regional Officer at

Application for certification for public exhibition of a video film first imported into India at————

1. (a) Name of the video film

(b) Language of the video film

(c) Running time of the video film———— metre Running time of the video film as shown in the CCP and|or import licence. Have any cuts been made voluntarily by the applicant and if so give details.

(d) Number of Cassettes

(e) Any other particulars of the video conversion

(f) Type of film i.e. whether it is 2-D, 3-D cinemascope, vistavision etc.

(g) Whether the film is silent or a talkie

(h) Colour of the film

(i) Name of the producer

(j) Name of the director

(k) Country in which produced

2. State whether the video film is a *newsreel| documentary|scientific|educational|feature | advertisement video film.

3. State separately, the numer of negatives and positive print of the video film :—

(a) imported by the applicant (negative———positive————)

(b) in the applicant's possession, negative———positive————)

*Score out the word or words which are not applicable.

4. (a) Whether the video film for which the application has been made is a replica| exact copy of a cinematograph film on celluloid in respect of which a certificate has already been granted by the Central Board of Film Certification ? Also state particulars of the film certified.

(b) Whether the video film is a modified version of a certified cinematograph film on celluloid, containing additions, deletions| other alternations (details of modifications may be provided).

(c) Whether the application being made is in respect of an original video film and not a copy of an already certified cinema-to graph film on celluloid.

(d) In what other language|languages, if any, has this been produced or dubbed ?

Where the title is not the same in each language, state the title of each version in which it has been produced or dubbed.

5. Has any previous application been made to certify this video film|film (under its present or any other title) in

(a) India :

(b) United States of America :

(c) United Kingdom :

(d) Any other country.

If so,

(i) Where and to whom was it made ?

(ii) What was the result of the application i.e.

*(i) A 'U'|'UA'|An 'A'|'S' certificate No. ——————date————was granted subject to the following cuts :

——————————

*(ii) Certificate was refused.

In the case of film made in the United States of America, state the rating of this film according to (a) the national groups and

(b) the legion of decency.

(a)—————— (b)——————

6. Has exhibition of this video film been at any time suspended or the film declared uncertified by the Central or any State Government ? State particulars :

*Score out the word or words which are not applicable.

7. Does the video film contain any dialogue, song, poem, speech or commentary in any language other than English or any Indian language ?

If so, specify the Cassette or Cassettes in which the dialogue, song, poem, speech or commentary occurs and the language or languages used.

8. Amount of fees accompanying the application on account of the fee prescribed in rule 36.

(i) Receipt No.————dated——————

(ii) Bank draft No.————dated———on——— ——— —Bank

(iii) Postal order No. ————dated———— ——on————Post Office.

9. Name, address and telephone number, if any, of the applicant.

——————————

——————————

——————————

10. (a) Name, address and telephone number, if any, of the importer of the video film—

——————————

(b) Number and date of the import licence—

——————————

(c) Date of clearance through the Customs—

——————

11. Has the video film|film been produced by or in collaboration with South African or Rhodesign nationals wholly or in part in South Africa, South West Africa or Rhodesia or is the film owned wholly, or in part, by South African or Rhodesian nationals ? If so, give details.

12. I declare that the video film is ready for examination by the Board and that the statements above recorded are true in every particular. I also declare that I own the video rights of the film in question. I further declare that I have the right to use in the video film the additional material in the feature film in the form of trailers, advertisement shorts, documentary films etc.

Date :

Signature of applicant.

(c) In Form III at the end of item 4. the following words shall be inserted namely— "In the case of video films, instead of length and number of reels, duration in minutes and number of cassettes may be given";

(d) is Forms IV, V, VI and VII, at the end of serial number 2, the following words shall be inserted, namely :—

"However, this certificate is not valid for video films";

(e) after Form IV, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM IV-A

[See rule 35(1)]

V|U

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

Certificate for video film for restricted public exhibition

Part I

(Video film)———— ——————

(Running time) ——— ——(No. of cassettes)———

(Certificate No.)———————————

(Date of issue)—————————————

(Date of expiry)—————————————

Chairman

Part II

Particulars of excisions and modifications subject to which the certificate has been granted.

1. This certificate has been issued in accordance with rule 35 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983 framed under the Cinematograph Act 1952.
2. This certificate is valid only in respect of the video film.
3. Name of applicant.
4. Name of producer.

Date :

(f) after Form V, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM V-A

V|U

[See rule 35 (1)]

GOVERNMENT OF INDIA

Central Board of Film Certification

CERTIFICATE FOR VIDEO FILM FOR EXHIBITION RESTRICTED TO ADULTS ONLY

(Persons below 18 years not admitted)

Part I

(Video film)——————————————

(Running time)————(Number of Cassettes)—

(Certificate No.)———————————

(Date of issue)—————————————

(Date of expiry)—————————————

Chairman

Part II

Particulars of excisions and modifications subject to which the certificate has been granted.

1. This certificate has been issued under rule 35 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983 framed under the Cinematograph Act 1952.
2. This certificate is valid only in respect of the video film.
3. Name of the applicant.
4. Name of producer.

Date :

(g) after Form VI, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM VI-A

V|UA

[See rule 35 (1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

Certificate for video film for unrestricted public exhibition with an endorsement of caution that the question as to whether any child below the age of 12 years may be allowed to see the film should be considered by the parents or guardian of such child.

PART I

(Video film)

(Running time———— (Number of cassettes)———

(Certificate No)———————————

(Date of issue)—————————————

(Date of expiry)—————————————

Chairman.

Part II

Particulars of excisions and modifications subject to which the certificate has been granted.

1. This certificate has been issued, under rule 35 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983 framed under the Cinematograph Act 1952.
2. This certificate is valid only in respect of the video film
3. Name of the applicant
4. Name of producer.

Date : "

(h) after Form VII, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM VII-A"

V|S

[See rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

Certificate for video film for public exhibition restricted to members of any profession of any class of persons

Part I

(Video film)——————————————

(Running time)——————(Number of Cassettes)—

(Certificate No.)————————

(Date of Issue)————————

(Date of expiry)————————————

(Fit for audience consisting of————

Chairman.

Part II

Particulars of excisions and modifications subject to which certificate has been granted.

1. This certificate has been issued, under rule 35 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983 framed under the Cinematograph Act 1952.

2. This certificate is valid only in respect of the video film.

3. Name of applicant.

4. Name of producer.

Date : "

[File No. 805|2|83-F(C)]

VIJENDRA SINGH JAFA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984